



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)  
(सं0 पटना 267) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

6 मई 2020

एस० ओ० 110, दिनांक 6 मई 2020— बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिश पर और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 402 दिनांक 26 दिसम्बर, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1356 दिनांक 26 दिसम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमावली के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करते हैं, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 783)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० प्रतिमा,  
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

6 मई 2020

एस० ओ० 110, दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8) 783)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 6th May 2020***

S.O. 110, Dated 6th May 2020.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Governor of Bihar on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 402 dated the 13th December, 2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1356 dated the 13th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> October, 2020.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8) 783)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 267-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>